



हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय
Central University of Himachal Pradesh

पोस्ट बॉक्स न.- 21, धर्मशाला, जिला - कांगड़ा, हिमाचलप्रदेश- 176 215
PO Box: 21, DHARAMSHALA, DISTRICT KANGRA, HIMACHAL PRADESH – 176215

दिनांक:25/11/2020

संस्कृत
अस्थायी तृतीय चयनसूची

(शुल्क जमा करने हेतु)

प्रवेशार्थ – स्नातकोत्तर (संस्कृत)

(शैक्षणिक-सत्र 2020-21)

स्नातकोत्तर (शैक्षणिक-सत्र 2020-21) में प्रवेश के लिये चुने गये अभ्यर्थियों की अस्थायी चयन सूची संलग्न है। स्नातक/शास्त्री की वरियता योग्यता के आधार पर यह सूची तैयार की गई है। चयन सूची को तैयार करने में हर सम्भव सावधानी रखी गयी है। यदि कोई त्रुटि है तो वह अनजाने में है और सुधार के योग्य है।

1. अन्य पिछड़ा वर्ग, श्रेणी के अन्तर्गत प्रवेश के लिये वे सभी अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी पात्र होंगे जो असमृद्ध स्तर से सम्बद्ध हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में उल्लिखित है।
यदि अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में चुने गये अभ्यर्थी असमृद्ध स्तर से सम्बद्ध नहीं हैं, तो उन्हें प्रवेश-शुल्क जमा नहीं करना चाहिये क्योंकि उनका प्रवेश अभिलेखों के सत्यापन और पञ्जीकरण के समय रद्द कर दिया जायेगा।
2. चुने गए अभ्यर्थियों को 30 नवम्बर, 2020 तक प्रवेश शुल्क जमा कर देना चाहिये। ऐसा न कर सकने पर रिक्त स्थान प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों को प्रदान कर दिया जायेगा।
3. स्नातकोत्तर (संस्कृत) के लिये कुल शुल्क रु. 3900/ हैं।
4. प्रवेश शुल्क के भुगतान का विकल्प 26 नवम्बर, 2020 से 30 नवम्बर, 2020 तक खुला रहेगा।
5. प्रवेश के लिए भुगतान का सम्पर्क (link) प्रत्येक अभ्यर्थी के फलक (dashboard) पर उपलब्ध रहेगा। यह वही फलक है जहाँ पर पञ्जीकरण तथा अध्ययन के विशिष्ट कार्यक्रम का विकल्प चुना गया था।

6. प्रविष्ट अभ्यर्थी को पञ्जीकरण एवं शैक्षणिक योग्यताओं/अभिलेखों के सत्यापन के लिये सम्बद्ध विभाग /संस्थान की प्रवेश समिति के प्रभारी के सम्मुख 07 दिसम्बर 2020 तक स्वसत्यापित प्रमाणपत्रों की प्रति sureshkumari731@gmail.com इस मेल पर मेल करें। उसे निम्नलिखित अभिलेखों को प्रेषित करना है-

(अ) प्रवेश समिति को प्रदर्शनीय मूल अभिलेख और प्रत्येक अभिलेख की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि, जिसे समर्पित करना है -

1. हाईस्कूल, 10 + 2 और बी. ए. की अंकसूची
2. श्रेणी प्रमाणपत्र, यदि प्रयोज्य हो (अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र छह महीने के पूर्व का नहीं होना चाहिए)
3. कश्मीरी प्रवासी प्रमाण पत्र, यदि प्रयोज्य हो
4. दिव्यांगता- प्रमाण पत्र, यदि प्रयोज्य हो
5. दुर्बल आर्थिक वर्ग का प्रमाण पत्र, यदि प्रयोज्य हो

(व) मूल अभिलेख जिनको समर्पित करना है-

1. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र
2. चरित्र प्रमाणपत्र
3. छात्र द्वारा आन्तरालिक अवधि (मध्यवर्ती अवधि) /तीन वर्ष से अधिक के अन्तराल के विषय में स्वघोषणा
4. नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र, यदि प्रयोज्य हो।
5. दो पासपोर्ट (पारपत्र) आकार के छायाचित्र
6. आधारकार्ड
7. प्रवेश पूर्ण रूप से अस्थायी और पञ्जीकरण के समय शैक्षिक योग्यताओं एवं अभिलेखों के सत्यापन के अधीन होगा। अभ्यर्थी द्वारा झूठी सूचना एवं योग्यता प्रस्तुत करने की दशा में प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा। ऐसी परिस्थिति में अभ्यर्थी द्वारा जमा किये गये शुल्क नहीं लौटाये जा सकते हैं और इसका सम्पूर्ण दायित्व उसी का होगा।

किसी अन्य स्पष्टीकरण के लिये आप निम्नलिखित से संपर्क कर सकते हैं -

डॉ. विवेक शर्मा - दूरभाष: - 9459050303 , अणुसंकेत - drviveksharma.skt@gmail.com

डॉ. रणजीत शर्मा - दूरभाष: - 7018599037 ,अणुसंकेत - ranjeetsharma56@gmail.com

डॉ. भजहरि दास - दूरभाष: - 9475773757 ,अणुसंकेत - bhajahari.das@gmail.com

किसी तकनीकी या भुगतान सम्बन्धी समस्या के लिये सम्पर्क करें -
श्री रोहित धीमान् - दूरभाष: - 9805229220 , अणुसंकेत - dhiman.rohit2@gmail.com

किसी कार्यालय सम्बन्धी समस्या के लिये सम्पर्क करें -
श्रीमती सुरेश कुमारी दूरभाष: - 9816720384 , अणुसंकेत - sureshkumari731@gmail.com




विभागाध्यक्ष:, संस्कृतविभाग:

Provisional Third Selection List

MA SANSKRIT					
Sr. No.	Roll No.	Name of the Candidate	Father's Name	Category	UG PERSENTAGE
Open Category					
1		BINAYAK UPADHYAYA	DURGA PRASAD UPADHYAYA	general	79.2

2		Jaspreet singh	Ramaiya singh	general	76.19
3		MANJEET SINGH	SAT PRAKASH	SC	65+10=75
4		NEHA DHIMAN	MANOHAR LAL	SC	62+10=72
5		Kuldeepak	Madan Gopal Sharma	general	60+10 = 70
SC Category					
1		PALLVI	SURESH KUMAR	SC	60
ST Category					
1		Kanika Sharma	Mohan Lal Sharma	ST	66.55
OBC Category					
1		Jyothi TM	Manjunatha TT	OBC	60
Economically Weaker Section(EWS) Category (No Candidate)					
Waiting List (No Candidate)					

टिप्पणी - विश्वविद्यालय के नियमानुसार शास्त्री उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को वरीयता सूची में 10% का अधिमान प्रदान किया गया है।


 विभागाध्यक्ष, संस्कृत